



उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन, बी-ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून

पत्रांक: 1389 / Ease of Doing Business / 3 / 2024-25 दिनांक: 13/6/24

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग विभाग,
देहरादून।

विषय: BRAP 2024 के बिंदुओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित Business Reform Action Plan 2024 के सम्बन्ध में निम्न BRAP बिंदु पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।

Area	Sub-Area	Reform
Obtaining Utility Permits	Certificate of non-availability of Water from Water Supply Agency	Ensure that information is available on website on all necessary components for availing a service such as comprehensive list of documents required, fee, procedure with stage wise details and time for completion of each procedure/ step, searchable based on risk category, size of firm, business location and Foreign/ Domestic investor

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उद्योग विभाग के कंसल्टेंट फर्म द्वारा Certificate of non-availability of Water निर्गत किये जाने हेतु शुल्क के विषय में जानकारी चाही गई थी। तत्क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में Certificate of non-availability of Water निर्गत करने हेतु विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(मनीष सेमवाल)
सचिव (अप्रैजल)

पृ.सं. एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी / पिथौरागढ़ / नैनीताल / मुख्यालय, देहरादून।
3. सचिव (प्रशासन), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान,
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान,

सचिव (अप्रैजल)